दिनांक : 11 फरवरी, 2014

तेलंगाना पर यूपीए का असली इरादा क्या है?

– अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

पिछले एक दशक से यूपीए सरकार तेलंगाना में मुद्दे पर पलटियां मारती रही है। 2004 में उसने तेलंगाना के गठन का वादा किया था। देश को दिसम्बर 2009 तक इंतजार करना पड़ा जब श्री पी. चिदम्बरम ने घोषणा की कि सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन के बारे में सिद्धांत रुप से फैसला कर लिया है। सरकार पीछे हट गई और उसने इस पूरे मुद्दे की छानबीन के लिए न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति नियुक्त कर दी। समिति ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा।

यूपीए ने 2013 में एक बार फिर तेलंगाना राज्य के गठन के बारे में सिद्धांत रुप से फैसला किया। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। सरकार के फैसले से उत्पन्न अनुकूल और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण संसद का वर्तमान सत्र चल नहीं पा रहा है। भाजपा स्पष्ट रुप से कह चुकी है कि वह एक पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के पक्ष में है। साथ ही हमने यह भी आग्रह किया कि सीमान्ध्र के लोगों की वैध चिंताओं को भी दूर किया जाए। इन दोनों प्रयासों का सामंजस्य न तो मुश्किल है और न ही असंभव। लेकिन दुख इस बात का है कि यूपीए ने इस दिशा में प्रभावकारी कदम नहीं उठाए हैं।

तेलंगाना के गठन में यूपीए ने जिस तरीके से गतिरोध पैदा किया और इसके विपरीत जिस असाधारण और सुचारु तरीके से एनडीए ने तीन राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन किया, इस बारे में इससे पहले भी मैं टिप्पणी कर चुका हूं। अब संसद के वर्तमान सत्र के केवल आठ कार्य दिवस बचे हैं। इन आठ दिनों में से दो शुक्रवार पड़ेंगे जो निजी सदस्यों के कामकाज के लिये निर्धारित होते हैं। वर्तमान सत्र में केवल पांच दिन ऐसे हैं जब विधायी कार्य संभव है। आंध्र प्रदेश (पुनर्गठन) विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सका है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों सदनों में से किसमें इस विधेयक को पेश किया जाएगा। यह संदेह भी बना हुआ है कि क्या यूपीए तेलंगाना राज्य के गठन के प्रयास में कानूनी और संवैधानिक तौर पर सही तरीका अपना रही है अथवा नहीं। मुझे संदेह है कि यूपीए इस मुद्दे को लटका रही है। क्या यूपीए का इरादा तेलंगाना के गठन के मुद्दे को संसद के वर्तमान सत्र और इसके परिणामस्वरुप यूपीए के शासन में कोई नतीजा नहीं निकलने देने का है?

किसी राज्य के गठन के मुद्दे से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। राजनैतिक दलों के लिए यह अनुचित होगा कि वे लोगों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाएं और फिर इसे पूरा न करें। यूपीए को तत्काल आंध्र प्रदेश (पुनर्गठन) विधेयक संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के लिए लाना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक संभव हो, दोनों क्षेत्रों के हितों के बीच संतुलन कायम करे और विधेयक संवैधानिक दृष्टि से पालन करने योग्य हो। मैं विधेयक का समर्थन करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

*****